संख्या- 1417/77-6-12-8एम/12टीसी-6

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2012**

विषय : प्रदेश के विशिष्ट उद्यमियों व प्रमुख औद्योगिक संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों को ''गोल्डन कार्ड'' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर संख्या-3.4.3 में यह प्राविधान किया गया है कि ''विशिष्ट उद्यमियों व प्रदेश स्तरीय प्रमुख औद्योगिक संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों को ''गोल्डन कार्ड'' की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि हर सरकारी कार्यालय में उन्हें निर्विघ्न प्रवेश एवं प्राथमिकता प्रदान की जाए।''

तत्क्रम में प्रदेश के उद्योगों के प्रति उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से विशिष्ट श्रेणी के उद्यमियों एवं प्रमुख औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों को ''गोल्डन कार्ड'' की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

''गोल्डन कार्ड'' एक ऐसा फोटोयुक्त पहचान पत्र होगा जिससे उसका धारक सचिवालय, कलेक्ट्रेट तथा अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में निर्विघ्न प्रवेश कर सकेगा। ऐसे कार्ड मल्टीपल इंट्री हेतु मान्य होगे तथा ये सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र के ही समकक्ष होगे। ऐसे धारको को सभी शासकीय कार्यालयों में उनके उद्योग संबन्धी कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा उनके सभी ऐसे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर समयवद्ध रूप से संपादित किये जायेंगे। गोल्डन कार्ड धारको को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जायेगा।

यह सुविधा राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संगठन जैसे- कॉन्फेडरेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्री, पी.एच.डी. चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, एसोसिएटेड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं फिक्की के प्रदेश अध्यक्ष तथा महामंत्री /महासचिवों को उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त इन संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी उनकी मॉग के अनुसार यह कार्ड प्रदान किये जायेगें। इन संगठनों को अधिकतम दो कार्ड अनुमन्य किये जायेंगे। प्रदेश स्तरीय औद्योगिक संगठन यथा- क्षेत्र विशेष संगठन तथा उद्योग विशेष संगठनो को प्रति संगठन एक कार्ड की सुविधा अनुमन्य होगी।

यह सुविधा उन विशिष्ट उद्यमियों को भी उपलब्ध करायी जायेगी जो प्रदेश में रू. 200 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश करने

वाली इकाईयों से संबन्धित हो। ऐसी इकाईयों के प्रवर्तक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को प्रति इकाई / प्रति समूह अधिकतम दो ''गोल्डन कार्ड'' की सुविधा अनुमन्य होगी।

इन गोल्डन कार्ड को प्राप्त करने हेतु उद्योग बन्धु के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर फोटो सहित आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ गोल्डन कार्ड प्राप्त करने हेतु विशिष्ट उद्यमी द्वारा किये गये पूंजी निवेश के साक्ष्य के रूप में बैलेन्श शीट जैसा अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के परीक्षण करने के उपरान्त उद्योग बन्धु मुख्यालय द्वारा कार्ड जारी किया जायेगा। प्रत्येक कार्ड का एक विशिष्ट नम्बर आवंटित किया जायेगा जिसे सचिवालय प्रशासन विभाग की भी मान्यता होगी। प्रति सप्ताह जारी किये गये कार्ड का विवरण उद्योग बन्धु द्वारा सचिवालय प्रशासन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित किया जायेगा जिसे सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा अपने रिकार्ड हेतु रखा जायेगा।

इस शासनादेश से पूर्व में गोल्ड/ग्रीन कार्ड के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्याः 1438/77-6-1998, दिनांक 22.10.1998 एवं शासनोदश संख्या-1000/77-6-98-2004, दिनांक 13.03.2004 द्वारा किये गये प्राविधानों को अतिक्रमित किया जाता है।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 1417(1)/77-6-12-8(एम)/12टीसी-6, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासनादेश की 1500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय प्रशासन अनुभाग-4/6
6. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
सचिव।